

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कमॉक सामान्य/II/ 04 /2021

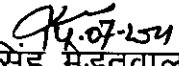
दिनांक 14/07/2021

आदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की अधिसूचना कमॉक प. 1(1) न्याय/2021 दिनांक 08.07.2021 द्वारा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह जिला टोंक के कमोन्नत होने के कारण कमोन्नत न्यायालय में पदस्थापित होने वाले पीठासीन अधिकारी को उक्त न्यायालय के कमोन्नत होने की तिथि से वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है एवं यह निर्देश देता है कि उनको उक्त संहिता के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियाँ होंगी:-

क्र. सं.	कमोन्नत न्यायालय का नाम	जिले का नाम	बैठक का स्थान
1	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह	टोंक	टोडारायसिंह

आदेशानुसार,


(निर्मलसिंह मेड़तवाल)

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

कमॉक - सामान्य/II/09/2021/1427

दिनांक 14/07/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक
4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोंक
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडारायसिंह
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।


रजिस्ट्रार जनरल